संख्या-78/2024/I/795332/2024/001-77-3002-003-33-2023

प्रेषक,

रम्या आर0,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा तथा अलीगढ़,
उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 13.11.2024

विषय:- डिफेन्स कारिडोर परियोजनान्तर्गत आगरा नोड एवं अलीगढ़ नोड में भूमि क्रय/अधिग्रहण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 3299/यूपीडा/डिफेन्स/2023/1020/2918 वाल्यूम-IV दिनांक 06.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के आगरा नोड में 81.6843 हे0 भूमि के अर्जन तथा अलीगढ़ नोड में 87.8880 हे0 भूमि के अर्जन कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिलाधिकारी, आगरा को रू0 1790.00 लाख (रूपये सत्रह करोड नब्बे लाख मात्र) तथा जिलाधिकारी, अलीगढ़ को रू0 5710.00 लाख (रूपये सत्तावन करोड़ दस लाख मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 7500.00 लाख की धनराशि निम्नलिखित विवरण एवं शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(रूपये धनराशि लाख में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	निर्गत किये जाने हेतु धनराशि
01	डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना स्थापित किये जाने हेतु आगरा नोड में 81.6843 हे0 भूमि के अर्जन का कार्य।	12500.00	1788.72291 पूर्णांक 1790.00
02	डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना स्थापित किये जाने हेतु अलीगढ़ नोड में 87.8880 हे0 भूमि के अर्जन का कार्य।	12180.00	5710.00
		कुल	7500.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि तात्कालिक आवश्यकतानुसार आहरित कर जिलाधिकारी, आगरा एवं अलीगढ के संगत डिपाजिट खाते में जमा करायी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है, अनिवार्य रूप से उसी कार्य पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य् स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य् कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(6) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं 0- 1/2024/ बी- 1-294/ दस- 2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में कास्ट ओवर रन एवं टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये।

(8) उ 0 प्र 0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 1976 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(10) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, आगरा/अलीगढ़ उत्तरदायी होगें।

(11) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,00,000 (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-95-X-2024-25-दिनांक:12-11-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रम्या आर0)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
6.विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) आगरा/अलीगढ़
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, आगरा/अलीगढ़
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ/आगरा।
9.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमती नगर लखनऊ।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रम्या आर0)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।